


(छात्र संघ चुनाव 2016 – 2017)

आवश्यक सूचना

१. छात्र संघ चुनाव में मतदान के लिए महाविद्यालय का वैध परिचय पत्र होना अनिवार्य है. जिन विद्यार्थियों ने अब तक परिचय पत्र प्राप्त नहीं किया है वो अविलम्ब रजिस्ट्रार कार्यालय से प्राप्त कर लें.
२. यदि किसी अपरिहार्य कारण से परिचय पत्र प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो विद्यार्थी अपने सेक्शन कार्ड पर फोटो चिपका कर रजिस्ट्रार कार्यालय से अवश्य प्रमाणित करा लें.
३. वह सेक्शन कार्ड जिस पर scanned photo लगी है वह चुनाव के सन्दर्भ में मान्य नहीं होगा.
४. स्नातक के केवल वही विद्यार्थी चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं जिनका प्रवेश महाविद्यालय में 15 सितम्बर 2016 तक हो चुका है और जिनको सेक्शन आवंटित किया जा चुका है.
५. परास्नातक के वही विद्यार्थी चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं जिनका प्रवेश महाविद्यालय में 17 सितम्बर 2016 तक हो चुका है
६. वैध परिचय या वैध सेक्शन कार्ड के अभाव में चुनाव के दिन विद्यार्थियों का महाविद्यालय परिसर में प्रवेश एवं चुनाव में प्रतिभागिता वर्जित होगी.



डॉ. अनिल कुमार सिंह  
मुख्य चुनाव अधिकारी